

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 465]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2013—आश्विन 11, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-ए-3-47-2013-1-पांच (52).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 10-क की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उनके प्रारंभ होने की तारीख से विखण्डित करती है :—

1. एफ-ए-3-31-2013-1-पाँच(49), दिनांक 26 सितम्बर 2013
2. एफ-ए-3-31-2013-1-पाँच(50), दिनांक 26 सितम्बर 2013

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-ए-3-47-2013-1-(52).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-47-2013-1-पांच (52), दिनांक 3 अक्टूबर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd October 2013

No. F-A-3-47-2013-1-V (52).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, rescinds the following notifications of this department from the date of inception :—

1. F. A-3-31-2013-1-V(49), dated 26th September 2013
2. F. A-3-31-2013-1-V(50), dated 26th September 2013

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-ए-3-47-2013-1-पांच (53).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 10-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-15-2011-1-पाँच(21), दिनांक 30 मार्च 2013 को उसके प्रारंभ होने की तारीख से विखण्डित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-ए-3-47-2013-1-(53).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-47-2013-1-पांच (53), दिनांक 3 अक्टूबर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd October 2013

No. F-A-3-47-2013-1-V (53).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, rescinds this department's notification No. F. A-3-15-2011-1-V(21), dated 30th March 2013 from the date of its inception.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.